

l f'pdkLr l f'pdkvks dh l vph&2014

vxLr&2014

f' k{kk foHkkx

de l 0	l f'pdk l q; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(शिक्षा)01/13	प्रा० वि० रायटोली नामकोम में पारा शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किये जाने के संबंध में दुर्गाचरण महतो, तमाड़, राँची का परिवाद ।	22.08.2014	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार पुर्व के ग्राम सभा द्वारा किया गया चयन की अनुशंसा को रद्द कर नये तरिके से ग्राम सभा द्वारा उचित अभ्यर्थी का चयन किया गया है इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)11/2013	टेट परीक्षा फल रद्द करने के संबंध में श्री विनय कुमार खगड़िया, बिहार का परिवाद ।	12.08.2014	परिवादी द्वारा टेट परीक्षा का आवेदन पत्र अपुर्ण भरे रहने के कारण अहर्ता को पुर्ण नहीं करने के आलेक में झारखण्ड अधिविध परिषद उनकी उम्मिदवारी रद्द कर दिया गया जो अधिविद्य परिषद के परीक्षा शर्तों के अनुकूल है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(शिक्षा)22/11	श्रीमती मिना देवी, सेवानिवृत दाई, जगन्नाथ जैन महाविद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा के सेवानिवृति लाभ एवं लंबित पेंशन के संबंध में ।	26.08.2014	कुलपति बिनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से प्राप्त कृत कार्रवाई प्रतिवेदन के अनुसार सेवानिवृत मृत कर्मचारी के आश्रितों को उनके देय बकाया का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(शिक्षा)01/2012	श्री राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर के द्वारा बतौर परा शिक्षक, लंबित मानदेय भुगतान हेतु तथा ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव के विरुद्ध आरो से संबंधित परिवाद ।	22.08.2014	जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गिरीडिह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैद्यानिक देश पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## Hkufe l qkkj , oajktLo foHkkx

de l 0	l fpdk l q; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(राजस्व)26/12	भूदान यज्ञ कमिटी के जमीन पर कब्जा दिलाने के संबंध में नगीना भुईयां एवं अन्य पलामू का परिवाद ।	22.08.2014	उपायुक्त पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)19/2013	जमीन से बेदखल करने के संबंध में श्री माधो पासवान गिरिडीह का परिवाद ।	06.08.2014	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के उपस्थिति में जमीन का मापी किया गया जिसमें आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## LokLF; foHkkx

de l 0	l fpdk l q; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(स्वा0)08/13	समुचित दर पर पेंशन प्राप्त नहीं होने के संबंध में श्रीमती शकुंतला कुमारी, देवघर का परिवाद ।	05.08.2014	सिविल सर्जन देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निरकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को बंद कर दिया गया ।

## Hkou fuekZ k foHkkx

de l 0	l fpdk l q; k	fo"k;	l fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(भ0नि0)02/14	सेवाकाल में देय प्रोन्नति लाभ व मृत्युपरान्त पेंशन पुनरीक्षण भविष्य निधि निदेशालय द्वारा नहीं किये जाने के संबंध में मो0 निर्मला देवी, मानगो जमशेदपुर का परिवाद ।	20.08.2014	परिवादीनी द्वारा परिवाद को वापस लेने की याचिका को स्वीकृत करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।

## I gdkfjrk foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(सह0)01/13	श्री बालकेश्वर प्रसाद सेवानिवृत्त लिपिक कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी राँची का सेवान्त लाभ बकाया के संबंध में ।	04.08.2014	परिवादी इस वाद सं संबंधित एक याचिका माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दाखिल किया है जो लंबित है तथा परिवादी तत्कालिन बिहार के समय सेवा निवृत्त हुए हैं एवं अन्य बकाया का भुगतान सहकारिता विभाग बिहार पटना से होना है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## ou foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(वन)01/2012	अवध बिहारी सिंह सेवानिवृत्त वनपाल गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल गढ़वा को सेवानिवृत्त पेंशन एवं अन्य पावनाओंके भुगतान नहीं होने के संबंध में पविाद ।	20.08.2014	परिवादी के द्वारा अपने परिवाद को वापस लेने की याचना को माननीय लोकायुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए परिवादी को उचित फोरम पर अपनी बात रखने के अनुमति के साथ ही परिवाद को बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(वन)04/2013	वन विभाग के अधीन पुसरभिड्डा, वनरोपन स्थल अमरापाड़ा में असथायी पौधशाला एवं वनरोपन कार्य में कार्यरत मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं प्राप्त होने के संबंध में ।	14.08.2014	प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप की पुष्टी नहीं होने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

## df"k foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(कृषि)01/2011	छठा वेतन एवं ए.सी.पी. का लाभ नहीं मिलने पर उर्मिला देवी का शिकायत ।	27.08.2014	निदेशक उद्यान झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)14/2013	कुलपति,बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची द्वारा	12.08.2014	परिवादी द्वारा परिवाद को वापस लेने की याचिका को

		सेवानिवृति लाभों का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में श्री सिद्धेश्वर नाथ पंडित, राँची का परिवाद ।		स्वीकृत करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(कृषि)04/13	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखण्ड सरकार , जामताड़ा जिला में जनसेवक के पद पर नियुक्ति में हो रही अनियमितता के संबंध में भारती रानी मंडल , जामताड़ा का परिवाद ।	22.08.2014	उपायुक्त जामताड़ा के प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### i 'kq̄ kyu , oa eRL; foHkkx

dæ l 0	l f̄pdk l ā; k	fo"̄k;	l f̄pdkLr dh frffk	v̄fre vkns̄k
1.	02/लोक(पशु)02/2012	द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण पेंशन पुनरीक्षण नहीं होने के संबंध में श्री शिवलाल यादव का शिकायत ।	08.08.2014	सचिव, पशुपालन विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति देय नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### uxj fodkl foHkkx

dæ l 0	l f̄pdk l ā; k	fo"̄k;	l f̄pdkLr dh frffk	v̄fre vkns̄k
1.	02/लोक(न.वि.वि.)01/13	टेन्डर नं. NIT(E-[RE]) टेन्डर RRDA/EE/0412012-13 के संबंध में मो० सलीम, डोरण्डा, राँची का परिवाद ।	26.08.2014	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के उपाध्यक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाये गये । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### iṣ ty , oa LoPNrk foHkkx

dæ l 0	l f̄pdk l ā; k	fo"̄k;	l f̄pdkLr dh frffk	v̄fre vkns̄k
1.	01/लोक(पेयजल)03/2012	टयूब बेल घोटाला और संपूर्ण स्वच्छता अभियान में गड़बड़ी करने के संबंध में ।	20.08.2014	मंत्रीमंडल निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय

				लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
--	--	--	--	----------------------------------------------

## i fjogu foHkkx

दॆ । ०	। fॆpdk । ॠ; k	fo"k;	। fॆpdkLr dh frfFk	vॆfre vkns'k
1.	01/लोक(परिवहन)01/14	गलत ढंग से वाहन के निबंधन को हस्तान्तरण करने के संबंध में कृष्णा यादव खेलारी राँची का परिवाद ।	06.08.2014	उपायुक्त हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाये गये । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

## xkfe.k fodkl foHkkx

दॆ । ०	। fॆpdk । ॠ; k	fo"k;	। fॆpdkLr dh frfFk	vॆfre vkns'k
1.	02/लोक(ग्रा.वि.)09/12	ग्राम पंचायत बड़ा नरायणपुरख अंचल मधुपुर, जिला. देवघर में विभिन्न योजनाओं में बिना कार्य कराये राशि निकासी के संबंध में मो० अब्दुल कादिर का परिवाद ।	22.08.2014	अंचलाधिकारी मधुपुर के द्वारा प्रेषित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.विण)01/14	सेवान्त लाभ के संबंध में श्री दिवाकर प्रसाद पाकुड़ का परिवाद ।	22.08.2014	उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद से संबंधित सरकार के निति निर्धारण से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(ग्रा.वि.)22/13	बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज नहीं करने के संबंध में श्री राजेश महरा देवघर का शिकायत ।	26.08.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का नाम नये बी.पी.एल. सूची में दर्ज कर लिया गया है । अतः परिवाद के निराकरण के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
4.	02/लोक(ग्रा.वि.)46/12	कुप्रशासन के कारण गांव में मूल भुत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री खलिल अंसारी व अन्य ग्रामिण का परिवाद ।	22.08.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामिणों के परिवाद के निराकरण के प्रशासन द्वारा समुचित कदम उठाये जा रहे हैं । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

5.	02/लोक(ग्र.वि.)12/13	देवघर जिला अन्तर्गत मधुपुर प्रखंड के सुग्गापहाड़ी. 2 पंचायत के मुखिया मो० कलाम द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में मो० करीम अंसारी का परिवाद ।	27.08.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद के आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### dY; k.k foHkkx

de   0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(कल्याण)02/2013	वृद्धा पेंशन व अन्य लाभ के संबंध में सकीना बीबी मधुपुर का शिकायत ।	08.08.2014	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांच के क्रम में परिवादीनी के आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कल्याण)01/2012	आदिम जनजाति(बिरहोर) समुदाय की भूख से हो रही मौत के संबंध में श्री गोपीनाथ घोष से प्राप्त शिकायत ।	13.08.2014	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा स्वतः संज्ञान में लेकर मामले पर समुचित आदेश पारित कर दिया गया । अतः इस पर अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

### l kekt dY; k.k foHkkx

de   0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(स.क.वि.)06/13	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में श्री अखिलेश्वर शुक्लाख पलामू का शिकायत ।	20.08.2014	निदेशक, सामाज कल्याण विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर लिय गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### fofo/k foHkkx

क्र. सं.	क्र. सं.	विवरण	दिनांक	प्रतिवेदन
1.	02/लोक(विविध)04/13	वज्रपात में पति के मृत्यु उपरांत मुआवजा नहीं दिये जाने के संबंध में मो० झमनी उराईन गुमला का परिवाद ।	22.08.2014	उपायुक्त गुमला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को मुआवजा के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान जिला प्रशासन द्वार कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(विविध)06/13	जन शिकायत पर अंचलाधिकारी सिल्ली द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के संबंध में श्री श्याम सुन्दर महतो का परिवाद ।	12.08.2014	अंचलाधिकारी सिल्ली द्वारा इस वाद के संबंध में समूचित कार्रवाई किया गया है परन्तु विपक्षी द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
3.	02/लोक(विविध)01/2014	झारखण्ड सरकार द्वारा निविदा शर्त सं० निर्धारित करने के संबंध में श्री जिमी देसाई , सुरत का परिवाद ।	22.08.2014	प्रधान सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त परिवाद में वर्णित टेन्डर को विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

### क्र. सं.

क्र. सं.	क्र. सं.	विवरण	दिनांक	प्रतिवेदन
1.	शिकायत सं. 133/14	सामान्य वर्ग से संबंधित होने के बाद आदिवासी जाति-प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करने के संबंध में श्री महेन्द्र राम बरवाडीह, लातेहार का शिकायत ।	12.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 21/14	आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री सबलू मराण्डी, पाकुड़ का परिवाद ।	12.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 308/2014	फ्लैट का निबंधन नहीं करने तथा अवैद्य निर्माण रोकने के संबंध में डॉ० आर.के. सिंह का परिवाद ।	12.08.2014	यह शिकायत दो लोगों का निजी मामला जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त के द्वारा बंद कर दिया

				गया ।
4.	शिकायत सं0 550/13	ग्राम तुंकु में गठित महिला समिति की मान्यता के संबंध में श्रीमती सरीता देवी , सिल्ली ,राँची का शिकायत ।	12.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादीनी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं0 328/14	उपायुक्त गढ़वा द्वारा पंचायत सेवक की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में श्री विजय कुमार तिवारी का शिकायत ।	05.08.2014	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं0 405/13	श्री अमित कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सारठ द्वारा पैसा लेकर इन्दिरा आवास का गलत प्रस्ताव भेजने के संबंध में प्रमोद कुमार सिंह का शिकायत ।	27.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 347/14	सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं देने तथा झूठा मुकदमा में फंसाने के संबंध में मो0 आरिफ गिाडीह का शिकायत ।	28.08.2014	शिकायत सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है जिसका समाधान सूचना के अधिकार अधिनियम में ही उपलब्ध है । अतः परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 504/13	श्री रमेश रजक एल.ई.ओ. (गढ़वा) के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री अशोक कुमार , जमशेदपुर का शिकायत ।		पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 317/14	आर्मड फोर्स व टाईगर मोबाईल का तबादला पैसा लेकर करने के संबंध में श्री जाकोब वासकी, गोड्डा का शिकायत ।	22.08.2014	शिकायत पदस्थापन एवं स्थानान्तरण से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 360/2014	जमुआ थाना काण्ड सं135/14 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री भगवत साव, कोडरमा का शिकायत ।	14.08.2014	पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है अतः इस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 467/13	शिकायतकर्ता श्री बालदेव महतो के घर को वहाँ के मुखिया द्वारा लूट लेने व इस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में शिकायत ।	08.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।



12.	शिकायत सं. 310/14	जमीन को भू-माफिया को दे देने के संबंध में श्री कमलेश चौबे चास बोकारो का शिकायत ।	08.08.2014	जमीन का सीमाकन टाईटल सूट केस सं. 16/1993 के आलेक में किया गया है। अतः परिवादी को सिविल कोर्ट के माध्यम से इसका निराकरण करना चाहिए । अतः वाद को बंद कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 41/2014	प्लॉट नं0 GC-18 सेक्टर-4, BSC, बोकारो में अवैद्य ब्लड-बैंक के संचालन के संबंध में श्री डी.पी. पाण्डेय बोकारो का शिकायत ।	28.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 359/2014	स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित सूचना प्राप्त करने के संबंध में श्री बिरेन्द्र कुमार रजक का इ-मेल से प्राप्त शिकायत ।	22.08.2014	परिवादी का परिवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं.327/2014	ऋण संबंधी अनियमितता/धोखाधड़ी के संबंध में श्री नारद भुईयां , चैनपुर, पलामू का शिकायत ।	08.08.2014	शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 304/14	झारखण्ड शिक्ष परियोजना, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में सदन कुमार ठाकुर का शिकायत ।	28.08.2014	परिवादी का परिवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 478/2013	नलकुप में प्रयुक्त होने वाले सामानों के खरीद में अनियमितता बरतने के संबंध में रामनरायण सिंह लातेहार का परिवाद ।	08.08.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निरकरण नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।